THDC-(RP)

कार्यकारी सारांश अद्यतन पुनर्वास योजना (डब्ल्यू0डब्ल्यू0–डी0डी0एन0–01)

परियोजना पृष्ठभूमि – प्रस्तावित उत्तराखंड एकीकृत और रेजिलिएंट शहरी विकास परियोजना (यू0आई0आर0यू0डी0पी0) का उद्देश्य सुरक्षित और किफायती पेयजल आपूर्ति तक सार्वभौमिक समान पहुंच में सुधार करना और खुले में शौच को समाप्त करते हुए सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं समान पेयजल और स्वच्छता सुविधा तक पहुंच बनाना है। परियोजना का उपेक्षित परिणाम देहरादून और नैनीताल में जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की विश्वसनीयता और दक्षता में वृद्धि है। परियोजना के चार प्रमुख अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं: (i) आउटपुट 1: देहरादून में जल आपूर्ति प्रणाली और सेवा में सुधार हुआ; (ii) आउटपुट 2: देहरादून और नैनीताल में एकीकृत स्वच्छता प्रणाली और जल निकासी में वृद्धि; (iii) आउटपुट 3: देहरादून और नैनीताल में विकसित और कार्यान्वित पानी और स्वच्छता के लिए कम्प्यूटरीकृत रखरखाव और प्रबंधन प्रणाली (सी0एम0एम0एस0); (iv) आउटपुट 4: परियोजना प्रबंधन, संस्थागत क्षमता और ज्ञान को मजबूत किया।

यह पुनर्वास योजना आउटपुट 2 के तहत एक उप–परियोजना के लिए तैयार की गई है, जो देहरादून नगर निगम (दे0न0नि0) के तहत तीन वार्डों यमुना कॉलोनी (वार्ड 33 और 35 का हिस्सा) और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टी0एच0डी0सी0) क्षेत्र (वार्ड 72) में स्वच्छता और वर्षाती जल निकासी व्यवस्था का विकास हेतु तैयार की गयी है। इस पुनर्वास योजना को सीवर पाइपलाइनों के अंतिम डिजाइन के अनुसार परियोजना पैकेज क्षेत्र में प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्सत्यापन सर्वेक्षण के साथ विस्तृत माप सर्वेक्षण (डी0एम0एस0) के आधार पर अद्यतन किया गया है। भूजल पुनर्भरण गड्ढों और वर्षाती जल निकासी के लिए अंतिम डिजाइन का कार्य गतिमान है तथा इसकी प्रतिक्षा की जा रही है।

परियोजना विवरण– परियोजना जोन 1 में स्थित है, जो इस परियोजना में शामिल किए जा रहे दो उपक्षेत्रों को छोड़कर सीवर नेटवर्क से आच्छादित है। परियोजना में टी0एच0डी0सी0 (वार्ड 72), और यमुना कॉलोनी (वार्ड 33 और 35 भाग में) शामिल हैं । टी0एच0डी0सी0 क्षेत्र उत्तर और पूर्व में कारगी रोड, पश्चिम में बिंदाल नदी, पूर्व में विद्या विहार और हरिद्वार बाईपास से घिरा हुआ है। दक्षिण पर सड़क, यमुना कॉलोनी क्षेत्र उत्तर और पूर्व में चकराता रोड और दून स्कूल से घिरा हुआ है और पश्चिम में नाला है। परियोजना में स्वच्छता और जल निकासी प्रणालियाँ मुख्य घटक के रुप में शामिल हैं: जो कि (i) 31 कि0मी0 सीवर पाइप बिछाना; (ii) 3,000 सीवर घरेलू कनेक्शन; और (iii) 38 कि0मी0 वर्षा जल निकासी व्यवस्था का निर्माण।

अद्यतन पुनर्वास योजना– देहरादून में यमुना कॉलोनी और टी0एच0डी0सी0 क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम के विकास के लिए अद्यतन पुनर्वास योजना तैयार की गई है, यू0आई0आर0यूडी0पी0 डब्ल्यू0डब्ल्यू0–डी0डी0एन0–01। परियोजना लक्षित क्षेत्रों के भीतर सभी निवासियों के लिए बेहतर जल निकासी, सीवरेज और स्वच्छता प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। विस्तृत डिजाइन के आधार पर पुनर्वास योजना को संशोधित किया गया है। यह विस्तृत डिजाइन के आधार पर परियोजना घटकों के निर्माण के लिए अनैच्छिक पुनर्वास के कारण संभावित प्रभावों का आंकलन करता है। सड़कों के अधिकार (आर0ओ0डब्ल्यू0) के सड़क किनारे पर विक्रेताओं और दुकानों की पहचान की गई है जिसके साथ सीवर पाइपलाइन प्रस्तावित है। देहरा खास, कारगी चौक और पथरीबाग चौक क्षेत्रों में सीवर पाइपलाइन बिछाने के दौरान संभावित प्रतिकूल प्रभावों की पहचान की गयी है। पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई0एम0पी0) के अनुसार सभी प्रतिकूल प्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए शमन उपाय विकसित किए गए हैं। उन स्थानों पर जहां अनैच्छिक पुनर्वास प्रभाव अपरिहार्य हैं, नुकसान की भरपाई के लिए, पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार पुनर्वास योजना में बजटीय प्रावधान तैयार किए गए हैं।

भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास का दायरा– परियोजना कार्यान्वयन के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सीवर पाइपलाइनों के निर्माण और वर्षा जल निकासी के लिए सभी सिविल कार्य सरकारी स्वामित्व के तहत सड़कों के अधिकार (आर0ओ0डब्ल्यू0) के भीतर किए जाएंगे। देहरादून नगर निगम (दे0न0नि0) के स्वामित्व वाली मौजूदा सड़कों का अधिकार (आर0ओ0डब्ल्यू0) के भीतर सीवर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अद्यतन पुनर्स्थापन योजना को विस्तृत डिजाइन, क्षेत्र के दौरों, प्रासंगिक हितधारकों के साथ चर्चा, और सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया के रूप में संबंधित विभागों, उपयोगकर्ता समूहों और अन्य समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श पर मौजूदा जानकारी की समीक्षा के आधार पर अद्यतन किया गया है।

परियोजना के लिए मूल्यांकन– परियोजना क्षेत्र में प्रभावित व्यवसाय में व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तृत माप और पुनर्सत्यापन सर्वेक्षणों के आधार पर, अनैच्छिक पुनर्वास प्रभावों का आंकलन किया गया है। इस आंकलन के अनुसार 12 सड़क किनारे स्थित अस्थायी व्यावसायिक इकाइयों (71 परिवार के सदस्यों) को निर्माण चरण के दौरान व्यवधान (26 दिनों के रूप में अनुमानित) की अवधि के लिए अस्थायी आय हानि होना संभावित है। यह अद्यतन पुनर्स्थापन योजना साइटों और संरेखणों के 100 प्रतिशत सर्वेक्षण के आधार पर अद्यतन की गई है ,अनैच्छिक पुनर्वास प्रभावों का और अधिक मूल्यांकन किया गया है और विस्तृत डिजाइन को अंतिम रूप देने के दौरान और विस्तृत माप सर्वेक्षण (डी0एम0एस0) के माध्यम से पुनः पुष्टि की गई है। निर्माण

कार्य शुरू होने से पहले विस्तृत डिजाइन, डी0एम0एस0 और साइट–विशिष्ट परामर्श के आधार पर पुनर्वास योजना को अद्यतन किया गया है और सभी परियोजना स्थलों और सभी सड़कों के लिए प्रभाव का 100 प्रतिशत मूल्यांकन शामिल किया गया है जिसके माध्यम से निर्माण के दौरान सीवर पाइपलाइनों को स्थापित किया जाएगा। . परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) और परियोजना प्रबंधन और डिजाइन पर्यवेक्षण सलाहकार (पी0एम0डी0एस0सी0) ने इस पुनर्वास योजना के मसौदे को अद्यतन करने के लिए 100 प्रतिशत प्रभावित व्यक्तियों को शामिल करते हुए पुनर्सत्यापन सर्वेक्षण किया है। सीवरेज नेटवर्क और वर्षानी जल निकासी के लिए कट–ऑफ तिथि 22 मार्च 2022 है।

प्रभाव से बचाव और शमन– ई0एम0पी0 में बताए गए शमन उपायों के अनुसार कार्यान्वयन के दौरान अधिकांश संभावित प्रभावों के कम होने की उम्मीद है; विशेष रूप से बाजार क्षेत्रों के साथ सीवर पाइपलाइन बिछाने के लिए रात के घंटों और गैर–बाजार दिनों के दौरान काम करने पर विचार तय किया गया है। अनैच्छिक पुनर्वास प्रभावों को कम करने और उनसे बचने के लिए, सड़क के किनारे के दुकानदारों, बाजार क्षेत्रों में विक्रेताओं के साथ विशेष रूप से संकरी सड़कों और व्यस्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में विचार–विमर्श किया गया है ताकि निर्माण कार्यक्रम (चरणबद्ध तरीके से) को अंतिम रूप दिया जा सके।

वर्गीकरण– परियोजना को एशियाई विकास बैंक के सुरक्षा नीति वक्तव्य (ए0डी0बी0एस0पी0एस0) 2009 के अनुसार श्रेणी बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कानूनी ढांचा–यू0आइ0आर0यू0डी0पी0 के लिए नीतिगत ढांचा और पात्रता निम्नलिखित कानूनों और नीतियों पर आधारित है: **1.**भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम (आर0एफ0सी0टी0एल0एआर0आर0ए0) 2013 और **2.** ए0डी0बी0 एस0पी0एस0, 2009 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार।

पात्रताएं, सहायता और लाभ– पुनर्वास योजना में प्रस्तुत एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स परियोजना क्षेत्र में सभी प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सभी संभावित हानियों के मुआवजे का प्राविधान करता है। सामान्य तौर पर, सीवरेज परियोजना के तहत प्रभावित लोग निम्नलिखित प्रकार के मुआवजे और सहायता के हकदार होते हैं: (i) प्रभाव की अवधि के लिए आय के नुकसान के लिए मुआवजा; (ii) स्थानांतरण भत्ता; और (iii) कमजोर समूहों को अतिरिक्त सहायता।

परामर्श और सूचना प्रकटीकरण– अनुबंध पैकेज क्षेत्र के तहत परियोजना के उद्देश्यों, लक्ष्यों और कार्य के दायरे का खुलासा परियोजना के संभावित लाभार्थियों, प्रभावित व्यक्तियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और संस्थागत हितधारकों के लिए किया गया है। स्वीकृत एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स और पुनर्वास योजना सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है, यथा शहर में उत्तराखंड सरकार के संबंधित कार्यालय और ए0डी0बी0 वेबसाइट के माध्यम से इस पुर्ववास योजना का खुलासा किया जाएगा। स्थानीय भाषा में अनुवादित परियोजना सूचना प्रकटीकरण पत्रक की प्रतियां निर्माण अवधि के दौरान हमेशा निर्माण साइट पर रखी जाएंगी।

शिकायत निवारण तंत्र– उत्तराखंड समावेशी और रेजीलिएंट शहरी विकास परियोजना (य0आई0आर0यू0डी0पी0) का शिकायत निवारण तंत्र (जी0आर0एम0), समुदायों और अन्य हितधारकों को अपनी राय व्यक्त करने, उनकी शिकायतों को दर्ज करने और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके निवारण के लिए एक मंच प्रदान करेगा। कार्यालय आदेश सोशल/यू0य0ए0एस0डी0ए0/आ0ई0ई0सी0/182 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के तहत एक त्रिस्तरीय सामान्य जी0आर0एम0 स्थापित किया गया है, इस हेतु समुचित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। परियोजना शिकायत निवारण प्रक्रियाओं पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। अभियान ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीब, कमजोर और अन्य लोगों को जागरूक किया जाए और वे जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा बने। अद्यतन पुनर्वास योजना में उल्लिखित शिकायत निवारण तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों और शिकायतों को संवाद, संयुक्त तथ्य–खोज, बातचीत और समस्या समाधान के माध्यम से सहयोगात्मक, शीघ्र और प्रभावी तरीके से हल किया जा सके।

पुनर्वास योजना बजट– पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन के लिए यथोचित बजट राशि प्रस्तावित है। जिससे अस्थायी आय हानि के लिए मुआवजा, एकमुश्त स्थानांतरण भत्ता और पहचान किए गए लोगों को एकमुश्त सहायता शामिल की गयी है। पी0आई0यू0 द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के बैंक खाते में राशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित की जाएगी। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (यदि बैंक खाते नहीं हैं) के पहचान पत्र तैयार करना और बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करेगी।

संस्थागत व्यवस्था– शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार, य0आई0आर0यू0डी0पी0 की कार्यकारी एजेंसी है। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के तहत एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी0एम0यू0), एक विशेष उद्देश्य वाहन, परियोजना कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी (आई0ए0) द्वारा देहरादून और नैनीताल में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए शहर/नगर स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयां (पी0आई0यू0) स्थापित की गई हैं। पी0एम0यू0/पी0आई0यू0 को परियोजना प्रबंधन और डिजाइन पर्यवेक्षण सलाहकार (पी0एम0डी0एस0सी0) द्वारा सहायता प्रदान

की जाएगी जो कार्यक्रम प्रबंधन सहायता प्रदान करेगा, डिजाइन और निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा साथ ही नीतिगत सुधारों पर भी सलाह प्रदान करेगा। पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर पी0एम0यू0/पी0आई0यू0 द्वारा बारीकी से निगरानी की जाएगी। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन एजेंसी (सी0ए0ए0पी0ए0) पी0एम0यू0 और पी0आई0यू0 को प्रभावित व्यक्तियों के साथ बैठकें आयोजित करने और प्रभावित व्यक्तियों और हितधारकों के साथ एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स और शिकायत निवारण तंत्र के प्रकटीकरण की सुविधा प्रदान करेगी।

निगरानी और रिपोर्टिंग– पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन पर पी0एम0यू0 द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी ताकि पुनर्वास की प्रगति का आकलन करने और संभावित कठिनाइयों और समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रभावी आधार तैयार किया जा सके। पी0एम0यू0 को कानूनी समझौतों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों और प्रासंगिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने और उनके कार्यान्वयन प्रदर्शन पर समय–समय पर निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। निगरानी रिपोर्ट संबंधित पी0आई0यू0 द्वारा पी0एम0यू0 के साथ साझा की जाएगी और संकलित रिपोर्ट को ए0डी0बी0 के साथ साझा की जाने वाली अर्ध–वार्षिक निगरानी रिपोर्ट में समेकित किया जाएगा। पी0एम0यू0/यू0आई0आर0यू0डी0पी0 अर्ध–वार्षिक आधार पर ए0डी0बी0को निगरानी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा और ए0डी0बी0 परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट जारी होने तक परियोजना की निगरानी करता रहेगा।